5-2-19 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2015/19 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.1.2019, की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक मे प्रतीत होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2015/19 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.1.2019 की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। उक्त अनुसार तहरीर संबंधित को जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर , निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर

क्रमांक : कोर्ट/डिवी/141-142 दिनांक 5-2-19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को पालनार्थ प्रेषित है

(1) उपखण्ड अधिकारी, बावडी।

(2) तहसीलदार बावडी।

आज्ञा से

रीडर
डिविजनल कमिश्नर